**संख्या- 17 /2018/ 1059 /अडतीस-7-2018-106नरेगा/2016टीसी**

**प्रेषक,**

**विजय बहादुर वर्मा,**
**उप सचिव,**
**उ0प्र0, शासन।**

**सेवा में,**

**आयुक्त,**
**ग्राम्य विकास,**
**उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

**ग्राम्य विकास अनुभाग-7** **लखनऊ दिनांक 11 जून, 2018**

**विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005 एवं उसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशिका में निहित व्यवस्थानुसार भारत सरकार के पत्र संख्या- जे-14037/02/2018-आरई-1(361335) एसएल.नं0 41, दिनांक: 25-05-2018 द्वारा निर्गत केन्द्रांश रू0 121,05,33,000/- (रू0 एक अरब इक्कीस करोड पांच लाख तैंतीस हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित बजटीय व्यवस्थानुसार व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये मार्ग निर्देशों/ अधिनियम में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत वहन किये जाने वाली मदों पर ही किया जायेगा। साथ ही वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक: 06-06-1994 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. सम्बन्धित जनपदों को धनराशि आवश्यकतानुसार ही अनुमन्य मदों में उपलब्ध करायी जायेगी। कोषागार से धनराशि के आहरण करने पर मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।
3. वित्तीय नियमों के अनुपालन हेतु अपर आयुक्त(वित्त), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक लेखानुदान की अनुदान संख्या-13 के लेखा शीर्षक "4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास- 02-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना- 0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना(के-60/रा.40-के+रा)-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3- प्रश्नगत व्यय के दौरान वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक: 03 अगस्त, 2017, शासनादेश संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनांक: 20 नवम्बर, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक: 30 मार्च, 2018 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**भवदीय**

**विजय बहादुर वर्मा**
**उप सचिव।**

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है।अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**संख्या- 17/2018/1059(1)/अड़तीस-7-2018 तददिनांक:-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, एमजीनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार , कृषि भवन, नई दिल्ली ।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. अपर आयुक्त (मनरेगा/वित्त), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, उ0प्र0, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक ) अनुभाग-2
10. राज्य योजना आयोग-1/2
11. ग्राम्य विकास अनुभाग-3
12. गार्ड बुक।

**आज्ञा से**

**विजय बहादुर वर्मा**
**उप सचिव।**

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है।अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।